न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 179/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
लाधाराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट निवासी कागो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. पूनमाराम पुत्र हरदानराम जाति जाट निवासी कागों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 1 एकतरफा एवं विप्रार्थी सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 30.09.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 472/8 रकबा 0.0971 हैक्टेयर ग्राम कागो की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी ने बैचानकर्ता बाबुसिंह पुत्र चिमनसिंह, नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह से भूमि कय की गई जिसका पंजीयन दिनांक 27.03.2012 को दस्तावेज [illegible] 20122000245 व 20122000246 पर उप पंजीयक सिणधरी के कार्यालय में पंजीबद्ध किया [illegible] तत्प[illegible] खातेदारान के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया। [illegible]र्थी ने उक्त [illegible]सुदा भूमि का वाणिज्यिक दुकान व ढाबा हेतु उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेश कमांक राजस्व/2013/87–90 दिनांक 10.01.2013 द्वारा संपरिवर्तन करवाया गया जिसके श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेशानुसार खसरा संख्या 472/6 रकबा 972 वर्ग मीटर भूमि का संपरिवर्तन किया गया। उक्त संपरिवर्तन का नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 29.04.2013 को पारित किया गया जिसके नवीन खसरा संख्या 472/7 रकबा 0–12 बीघा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अमल दरामद हुआ। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर वक्त तरमीम खसरा संख्या 472/8 दर्ज होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि प्रार्थी के सही एवं वास्तविक खसरा संख्या 472/7 है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से भिन्न है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 1 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत् पर्यापत अवसर दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 472/8 रकबा 0.0971 हैक्टेयर ग्राम कागो की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्रार्थी ने बैचानकर्ता बाबुसिंह पुत्र चिमनसिंह, नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह से भूमि कय की गई जिसका पंजीयन दिनांक 27.03.2012 को दस्तावेज संख्या 20122000245 व 20122000246 पर उप पंजीयक सिणधरी के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया तत्पश्चात् खातेदारान के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया। कि प्रार्थी ने उक्त खरीदसुदा भूमि का वाणिज्यिक दुकान व ढाबा हेतु उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेश कमांक राजस्व/2013/87–90 दिनांक 10.01.2013 द्वारा संपरिवर्तन करवाया गया जिसके श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेशानुसार खसरा संख्या 472/6 रकबा 972 वर्ग मीटर भूमि का संपरिवर्तन किया गया। उक्त संपरिवर्तन का नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 29.04.2013 को पारित किया गया जिसके नवीन खसरा संख्या 472/7 रकबा 0–12 बीघा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के अमल दरामद हुआ। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर वक्त तरमीम खसरा संख्या 472/8 दर्ज होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि प्रार्थी के सही एवं वास्तविक ख़सरा संख्या 472/7 है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से भिन्न है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने [illegible] ब[illegible] में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रक[illegible]निस्तारण किया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:20 IST
Reason: SelfAttested

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा [illegible]वली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 472/8 रकबा 0.0971 हैक्टेयर ग्राम कागो की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी में अवस्थित है। प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

याचनकर्ता बाबुसिंह पुत्र चिमनसिंह, नरपतसिंह पुत्र चिमनसिंह से भूमि क्रय की गई जिसका पंजीयन दिनांक 27.03.2012 को दस्तावेज संख्या 20122000245 व 20122000246 पर उप पंजीयक सिणधरी के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया तत्पश्चात् खातेदारान के बीच आपसी सहमति से बंटवाडा करवाया गया। कि प्रार्थी ने उक्त खरीदसुदा भूमि का वाणिज्यिक दुकान् व ढाबा हेतु उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/2013/87-90 दिनांक 10.01.2013 द्वारा संपरिवर्तन करवाया गया जिसके श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के आदेशानुसार खसरा संख्या 472/6 रकबा 972 वर्ग मीटर भूमि का संपरिवर्तन किया गया। उक्त संपरिवर्तन का नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 29.04.2013 को पारित किया गया जिसके नवीन खसरा संख्या 472/7 रकबा 0-12 बीघा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के अमल दरामद हुआ। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर वक्त तरमीम खसरा संख्या 472/8 दर्ज होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जाकाश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि प्रार्थी के सही एवं वास्तविक खसरा संख्या 472/7 है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से भिन्न है। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 472/8 रकबा 0.0971 हैक्टेयर ग्राम कागो की ढाणी पटवार मण्डल पायला कला तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:20 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.09.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राजस्थान सरकार | NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) | दिनांक : 16/08/2024 01:05:57 PM

जिला :बाड़मेर | तहसील : सिणधरी | भू. अ. नि. क्षेत्र :पांयलाकला

पटवारी हल्का :पांयलाकला | ग्राम : कागो की ढाणी

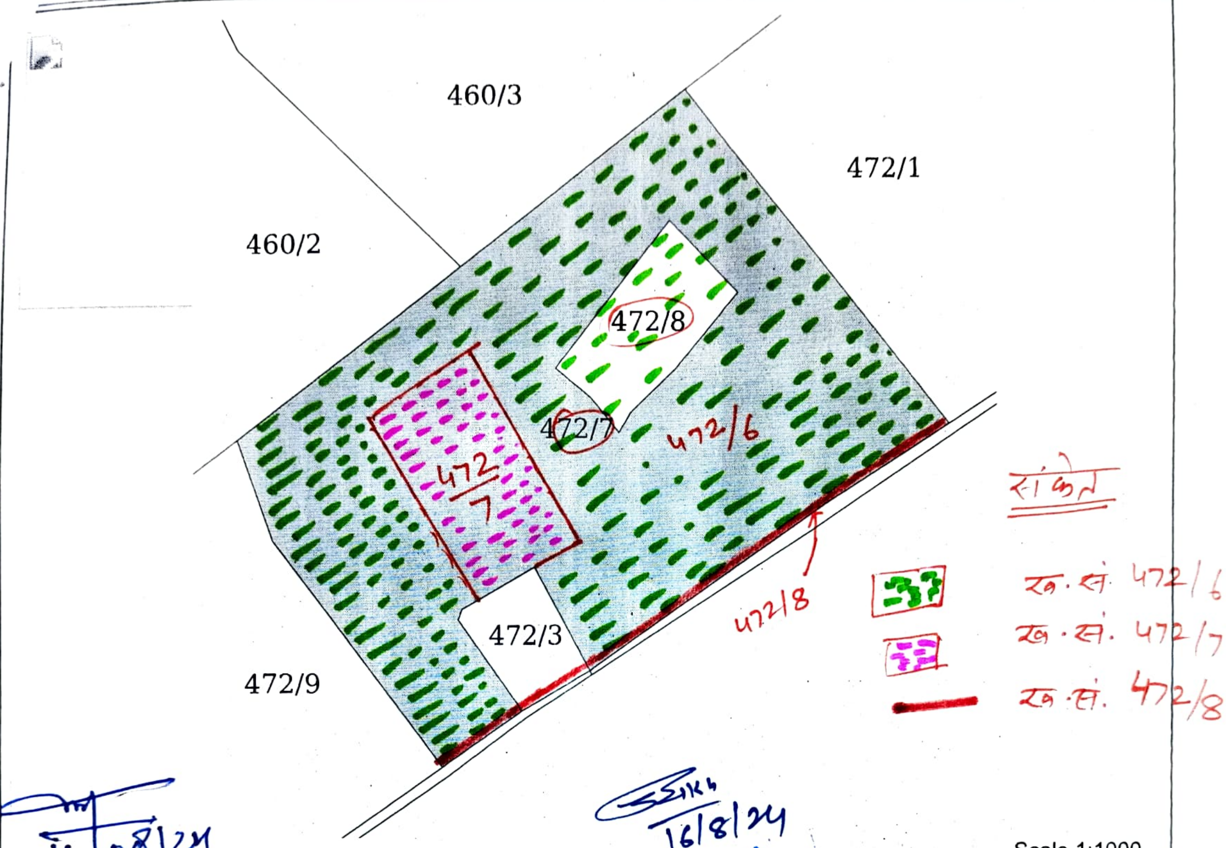

Scale 1:1000

खसरा संख्या :472/7 क्षेत्रफल : 0.5016 Hectare खाता संख्या : 129पुराना खाता संख्या : 77

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान] : बा.अव्वल [0.5016, 0.53]

1.) पूनमाराम पुत्र हस्दानराम हिस्सा- 25/62 जाति- जाट सा. देह खातेदार

2.) लाधाराम पुत्र ठाकरराराम हिस्सा- 37/62 जाति- जाट सा. देह खातेदार

निरीक्षक (भू.अ.) पांयला कला तहसील–सिणधरी जिला–बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी 30-09-2024

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:21:20 IST
Reason: SelfAttested